वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 11

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5316.40	1106.89	6423.29	5136.55	1469.00	6605.55	6785.66	797.40	7583.06	6570.66	1211.58	7782.24
वसूलियां	-19.09	...	-19.09	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	5297.31	1106.89	6404.20	5136.55	1469.00	6605.55	6785.66	797.40	7583.06	6570.66	1211.58	7782.24
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	87.81	...	87.81	114.23	...	114.23	88.88	...	88.88	100.00	...	100.00
2. बौद्धिक संपदा												
2.01 बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण	101.04	21.17	122.21	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.02 बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड सुदृढ़ीकरण स्कीम (आईपीएबी)	5.16	...	5.16	11.80	...	11.80	7.74	...	7.74	10.15	...	10.15
2.03 पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक	87.51	...	87.51	232.58	...	232.58	178.29	...	178.29	193.72	...	193.72
2.04 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान	2.54	...	2.54	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.05 बौद्धिक संपदा संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ	2.74	...	2.74	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.06 प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय	2.27	...	2.27	3.30	...	3.30	2.50	...	2.50	2.71	...	2.71
2.07 संपूर्ण शिक्षा और अकादमी के लिए आईपीआर में अध्यापन शास्त्र और अनुसंधान के लिए योजना	1.13	...	1.13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.08 बौद्धिक नीति अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन	...	...	...	9.40	...	9.40	5.28	...	5.28	9.45	...	9.45
2.09 अवसंरचना विकास बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईडीआईपीएबी)	...	...	...	...	7.39	7.39	...	...	...	...	...	...
2.10 पेटेंट अभिकल्प और ट्रेड मार्क महानियंत्रक में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीपीडीटीएम)	...	...	...	...	59.23	59.23	...	20.00	20.00	...	10.00	10.00
जोड़- बौद्धिक संपदा	*202.39*	*21.17*	*223.56*	*257.08*	*66.62*	*323.70*	*193.81*	*20.00*	*213.81*	*216.03*	*10.00*	*226.03*
3. संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय												
3.01 पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ)	59.24	...	59.24	77.67	...	77.67	61.05	...	61.05	60.77	...	60.77
3.02 नमक आयुक्त	31.05	...	31.05	31.46	...	31.46	28.66	...	28.66	31.62	...	31.62
3.03 प्रशुल्क आयोग	6.24	...	6.24	7.53	...	7.53	6.71	...	6.71	6.95	...	6.95
3.04 बॉयलर सर्वेक्षण	0.38	...	0.38	0.40	...	0.40	...	...	...	0.45	...	0.45

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय	*96.91*	*...*	*96.91*	*117.06*	*...*	*117.06*	*96.42*	*...*	*96.42*	*99.79*	*...*	*99.79*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**387.11**	**21.17**	**408.28**	**488.37**	**66.62**	**554.99**	**379.11**	**20.00**	**399.11**	**415.82**	**10.00**	**425.82**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
4. भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी)	382.78	...	382.78	370.00	...	370.00	148.00	...	148.00	150.00	...	150.00
5. औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस)	22.55	...	22.55	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	13.00	...	13.00
6. मूल्य एवं उत्पादन आंकड़े	8.63	...	8.63	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	12.70	...	12.70
राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर												
7. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी)	950.00	...	950.00	1200.00	...	1200.00	2600.00	...	2600.00	2000.00	...	2000.00
8. अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना (एकेआईसी)	2.70	...	2.70	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. प्रदर्शनी-सह-अभिसमय केन्द्र, द्वारका	...	654.41	654.41	0.01	347.41	347.42	0.01	347.41	347.42	...	245.58	245.58
जोड़-राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर	**952.70**	**654.41**	**1607.11**	**1200.01**	**347.41**	**1547.42**	**2600.01**	**347.41**	**2947.42**	**2000.00**	**245.58**	**2245.58**
मेक इन इंडिया												
10. निवेश संवर्धन हेतु योजना	148.94	...	148.94	140.00	...	140.00	91.00	...	91.00	90.49	...	90.49
11. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन की स्कीम	8.29	...	8.29	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. व्यापार करने की सुगमता (ई-बिज परियोजना)	1.48	...	1.48	7.00	...	7.00	...	...	...	...	...	...
13. निधियों का कोष	...	431.31	431.31	...	1054.97	1054.97	...	429.99	429.99	...	830.00	830.00
14. क्रेडिट गारंटी निधि	...	...	...	10.00	...	10.00	...	...	...	300.00	...	300.00
15. स्टार्ट-अप इंडिया	28.45	...	28.45	50.00	...	50.00	20.00	...	20.00	20.83	...	20.83
16. स्टार्टअप इंडिया प्रारंभिक निधि स्कीम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	126.00	126.00
17. व्यापार करने की सुगमता	3.31	...	3.31	20.00	...	20.00	8.00	...	8.00	10.00	...	10.00
18. सफेद बजाजी सामान (एसी एवंएलईडी लाइट) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
जोड़-मेक इन इंडिया	**190.47**	**431.31**	**621.78**	**227.00**	**1054.97**	**1281.97**	**119.00**	**429.99**	**548.99**	**422.32**	**956.00**	**1378.32**
पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास												
19. पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी)	583.52	...	583.52	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	150.00	...	150.00
20. उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस) 2017	1.00	...	1.00	100.00	...	100.00	15.00	...	15.00	30.00	...	30.00
21. परिवहन/ माल भाड़ा सब्सिडी स्कीम	342.87	...	342.87	300.00	...	300.00	385.00	...	385.00	350.00	...	350.00
22. विशेष श्रेणी के राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज	132.99	...	132.99	175.00	...	175.00	45.00	...	45.00	20.00	...	20.00
23. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास स्कीम,2017	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00
24. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास स्कीम,2017	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00
25. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का औद्योगिक विकास	...	...	...	...	...	...	...	...	...	104.50	...	104.50
जोड़-पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	**1060.38**	**...**	**1060.38**	**775.00**	**...**	**775.00**	**645.00**	**...**	**645.00**	**854.50**	**...**	**854.50**
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों के लिए केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी	2130.09	...	2130.09	1716.00	...	1716.00	2716.00	...	2716.00	2507.92	...	2507.92

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**4747.60**	**1085.72**	**5833.32**	**4325.01**	**1402.38**	**5727.39**	**6265.01**	**777.40**	**7042.41**	**5960.44**	**1201.58**	**7162.02**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
27. स्वायत्त संगठन												
27.01 स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता	109.98	...	109.98	250.00	...	250.00	82.26	...	82.26	133.17	...	133.17
27.02 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन	0.65	...	0.65	0.70	...	0.70	0.77	...	0.77	0.80	...	0.80
27.03 एशियाई उत्पादकता संगठन /संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	25.91	...	25.91	22.47	...	22.47	17.31	...	17.31	18.59	...	18.59
27.04 स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	45.15	...	45.15	50.00	...	50.00	41.20	...	41.20	41.84	...	41.84
जोड़- स्वायत्त संगठन	*181.69*	*...*	*181.69*	*323.17*	*...*	*323.17*	*141.54*	*...*	*141.54*	*194.40*	*...*	*194.40*
अन्य												
28. वास्तविक वसूली	-19.09	...	-19.09	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**162.60**	**...**	**162.60**	**323.17**	**...**	**323.17**	**141.54**	**...**	**141.54**	**194.40**	**...**	**194.40**
कुल जोड़	***5297.31***	***1106.89***	***6404.20***	***5136.55***	***1469.00***	***6605.55***	***6785.66***	***797.40***	***7583.06***	***6570.66***	***1211.58***	***7782.24***
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	59.24	...	59.24	77.67	...	77.67	61.05	...	61.05	60.77	...	60.77
2. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	21.17	21.17	...	66.62	66.62	...	20.00	20.00	...	10.00	10.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	**59.24**	**21.17**	**80.41**	**77.67**	**66.62**	**144.29**	**61.05**	**20.00**	**81.05**	**60.77**	**10.00**	**70.77**
आर्थिक सेवाएं												
3. उद्योग	800.09	...	800.09	969.58	...	969.58	453.86	...	453.86	804.94	...	804.94
4. उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	4141.73	...	4141.73	2949.44	...	2949.44	5219.44	...	5219.44	4441.72	...	4441.72
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	87.45	...	87.45	114.23	...	114.23	88.88	...	88.88	100.00	...	100.00
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	208.80	...	208.80	269.28	...	269.28	206.08	...	206.08	228.93	...	228.93
7. अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	1085.72	1085.72	...	1402.38	1402.38	...	777.40	777.40	...	1201.58	1201.58
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**5238.07**	**1085.72**	**6323.79**	**4302.53**	**1402.38**	**5704.91**	**5968.26**	**777.40**	**6745.66**	**5575.59**	**1201.58**	**6777.17**
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	756.35	...	756.35	756.35	...	756.35	934.30	...	934.30
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**756.35**	**...**	**756.35**	**756.35**	**...**	**756.35**	**934.30**	**...**	**934.30**
कुल जोड़	**5297.31**	**1106.89**	**6404.20**	**5136.55**	**1469.00**	**6605.55**	**6785.66**	**797.40**	**7583.06**	**6570.66**	**1211.58**	**7782.24**

1. **सचिवालय:** उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, आर्थिक सलाहकार कार्यालय के सचिवालय संबंधी व्यय प्रदान करता है।

2.02. **बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड सुदृढ़ीकरण स्कीम (आईपीएबी):** इसकी स्थापना पेटेन्ट नियंत्रक, व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार, भौगोलिक निदर्शन, प्रतिलिप्याधिकार और पौधा किस्म एवं किसान के अधिकार मामलों के संबंध में निर्णय के विरूद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए

की गई है। ये आईपीएबी उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार को प्रतिस्थापित करता है। इस बजट प्रावधान में वेतन और इस बोर्ड के अन्य संस्थापन की आवश्यकता संबंधी व्यय के लिएव्यवस्था है।

2.03. **पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक:** यह कार्यालय औद्योगिक संपदा अधिकारों नामत: पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999, भौगोलिक निदर्शन अधिनियम, 1999, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 तथा अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिविन्यालस डिजाइन अधिनियम, 2000 से संबंधित कानूनों के प्रशासन के लिए उत्त्रदायी है।

2.06. **प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय:** कॉपीराइट कार्यालय कॉपीराइट अधिनियम,1957की धारा 9 के तहत संवैधानिक रूप से स्थापित कार्यालय है।कॉपीराइट कार्यालय कॉपीराइट के रजिस्ट्रार के प्रत्यक्षनियंत्रण में है, जो केन्द्र सरकार निर्देशों के तहत कार्य करता है।

2.07. **संपूर्ण शिक्षा और अकादमी के लिए आईपीआर में अध्यापन शास्त्र और अनुसंधान के लिए योजना:** एसपीआरआईएचए पूर्ववर्ती का प्रतिलिप्याधिकार और आईपीआर संवर्धन योजना का संशोधित रूप है, जो 28.2.2018 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कार्यान्वयन में आयी है। यह योजना राष्ट्रीय आईपीआर नीति के अनुरूप है तथा संस्थानों में आईपी शिक्षण पर विशेष जोर देती है साथ ही आईपीआर के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययनों/अनुसंधान को भी बढ़ावा देती है।

2.08. **बौद्धिक नीति अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन:** बौद्धिक नीति अधिकार(आईपीआर) नीति प्रबंधन दो योजनाओं का संशोधित संस्करण है जिसमें एक है बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्धन एवंप्रबंधनप्रकोष्ठ (सीआईपीएएम) और दूसरा है संपूर्ण शिक्षा और शैक्षणिक समुदाय के लिए आईपीआर में अध्ययन और अनुसंधान(एसपीआरआईएचए)(पूर्व में कापीराइटऔर आईपीआर का संवर्धन)। यह योजना राष्ट्रीय आईपीआर नीति के रूप है और भारत में आईपीआर जागरूकता, व्यावसायीकरण और प्रवर्तन को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर देती है और साथ ही आईपीआर के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन / अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों में आईपी शिक्षण भी प्रदान करती है।

2.09. **अवसंरचना विकास बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईडीआईपीएबी):** बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड(आईपीएबी) एकसांविधिक निकाय है जो ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतक के रजिस्ट्रार, कॉपीराइट के रजिस्ट्रार और पेंटेट के नियत्रंक के निर्णयों विरूद्ध अपील सुनता है। आईपीएबी वर्तमान में चेन्नई में प्रिसिपल बेंच और दिल्ली रजिस्ट्रीहेतु लिए गए किराए के परिसर में स्थापित है। आईडीआईपीएबी चेन्नई में आईपीएबी कार्यालय के भवन के निर्माण हेतु अवसंरचना विकास में सहयोग प्रदान करेगा।

2.10. **पेटेंट अभिकल्प और ट्रेड मार्क महानियंत्रक में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीपीडीटीएम):** पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क के महानियंत्रक में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीडीपीटीएम) पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रकके कार्यालय के तहत विभिन्न कार्यालयों के अवसंरचना के विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा।

3.01. **पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ):** यह संगठन की संस्थापना संबंधी लागत हेतु प्रावधान करता है जो भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 तथा इनके तहत बनाए गए अनेक नियमों का संचालन करता है। यह संगठन विनिर्माण, स्वामित्व, बिक्री, प्रयोग, परिवहन, विस्फोटक/पेट्रोलियम/गैस सिलेंडर तथा प्रेशर वेसल के आयात/निर्यात हेतु लाइसेंस प्रदान करता है। यहसंगठन पाइपलाइनों सहित पेट्रोलियम और विस्फोटक से संबंधित पर्यावरण अधिनियम के तहत खतरनाक रसायन नियमावली 1989 से संबंधित विनिर्माण, भंडारण और आयात का संचालन करता है। यह कार्यालय इन अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले सभी मुद्दों पर सभी प्राधिकरणों को सलाह देता है तथा संगठन द्वारा विनाश, जब्त और खराब विस्फोटकों (सैन्य विस्फोटकों के अलावा) का उत्तरदायित्व लेता है।

3.02. **नमक आयुक्त:** यह संगठन नमक के उत्पादन की आयोजना, लक्ष्यों तथा नमक के वितरण, मूल्य निगरानी अध्ययन एवं विभागीय नमक भूमि की देखभाल, नमक संबंधी मानकों तथा गुणवत्ता को बनाए रखने, नमक के निर्यात हेतु उत्तरदायी है । राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईडीडीसीपी) के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है।यह आयोडीन युक्त नमक सहित नमक के उत्पादन और तर्कसंगत वितरण को नियंत्रित करता है। यह नियमित रूप से नमक की कीमत और उपलब्धता पर भी निगरानी रखता है। बजट में संगठन के संस्थापना प्रभार तथा विकास/कल्याण कार्य हेतु प्रावधान किया गया है।

3.03. **प्रशुल्क आयोग:** भारत सरकार ने सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और अन्य ग्राहक (क्लांइट) संगठनों को सलाह देने के लिए प्रशुल्क आयोग की स्थापना की है औरनिष्पक्ष और न्यायोचित तरीके से संसूचित निर्णय लेने की सुविधा के लिए अध्ययन आधारित इनपुट प्रदान करते हैं और जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक सिफारिशों के साथ निर्णय लेने की अपनी क्षमताओं को सक्षम और तीव्र बनाते हैं।यह बजट,आयोग के संस्थाणपना खर्चों को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है।

3.04. **बॉयलर सर्वेक्षण:** बॉयलर सर्वेक्षण हेतु अनुसंधान अध्ययन और बॉयलर अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान।

4. **भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी):** भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) का मुख्य उद्देश्य, चमड़ा क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना और, चमड़ा क्षेत्र के लिए पर्यावरण संबंधीचिंताओं पर ध्यान देना,अतिरिक्त निवेश, रोजगार सृजन और उत्पादन में वृद्धि को आसान बनाना है।

5. **औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस):** यहऔद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता अवसंरचना प्रदान करके उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना। चयनित कार्यशील क्लस्टरों में अवसंरचनाविकास,राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा।

6. **मूल्य एवं उत्पादन आंकड़े:** यह 'मूल्य और उत्पादन सांख्यिकी' योजना पहले से जारी दो पुरानी योजनाओं का विलय करके बनाई गई थी।12 वीं योजना अवधि के दौरान, ओईएएक प्लान स्कीम अर्थात'व्यवसाय सेवा मूल्य सूचकांक का विकास'का संचालन कर रहा था, इसी तरह डीपीआईआईटीभी औद्योगिक सांख्यिकी को मजबूत करने वाली एक योजना का संचालन कर रहा था। इस योजना के तहत आवंटित निधि केवल राजस्व व्यय (व्यावसायिक सेवाओं) के लिए है तथाइसका मुख्य रूप से वेतन और मानदेय के भुगतान के लिए और संविदा क्षेत्र के जांचकर्ताओं और पर्यवेक्षकों के परिवहन भत्ते के लिए उपयोग किया जाता है जो क्षेत्र प्रचालन प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा संगठित विनिर्माण इकाइयों सं कीमत संबंधी डेटा के संग्रह में लगे हुए हैं तथाआर्थिक सलाहकार द्वारा नियुक्त सलाहकारों की पेशेवर सेवाओं का भुगतान करनेके लिए उपयोग किया जाता है। मूल्य डाटा का उपयोग अखिल भारत थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) के संकलन किया जाता है जो की मासिक आधार पर जारी किए जाते हैं। इस योजना के तहत आने वाले प्रस्तावित कार्य सतत प्रकृति के हैं।

7. **राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी):** भारत सरकार ने 7 दिसंबर, 2016 को भारत में औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं के समन्वित और एकीकृत विकास के लिए मौजूदा डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन न्यास निधि (पीआईटीएफ)के दायरे के विस्तार को मंजूरी दी गई थी और इसे राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुन: नामित किया।एनआईसीडीआईटी,डीपीआईआईटीके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है और भविष्य में बनने वाले विभिन्न औद्योगिक कोरिडोर भी एनआईसीडीआईटी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे।

8. **अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना (एकेआईसी):** एकेआईसी पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) को एक मुख्य आधार के रूप में उपयोग करेगा और यह इस तरह से नियोजित किया जाएगा कि सात राज्यों अर्थात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) होंगे।

9. **प्रदर्शनी-सह-अभिसमय केन्द्र, द्वारका:** भारतीय अंतर्राष्ट्री य सम्मेलन और एक्स्पो केन्द्र द्वारका, नई दिल्ली की परिकल्पना देश में वैश्विक प्रदर्शनियों को आकर्षित करने के लिए एक प्रतिष्ठित संरचना और केंद्र के रूप में की गई है।

10. **निवेश संवर्धन हेतु योजना:** विभाग नेमेक इन इंडिया पहल की शुरूआत की है, जो भारत को निवेश स्थल और विनिर्माण केन्द्र के रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक वैश्विक संवर्धनात्मक अभियान है। इस पहल का उद्देश्य भारत को एक निवेश स्थल के रूप में प्रोत्साहित करना तथा कार्यबल, अवसंरचना, कच्चे माल तथा अन्य सुविधाओं की अपार क्षमता वाले देश के रूप में स्थापित करना है। मेक इन इंडिया पहल को सुदृढ़ करने के लिए, डीपीआईआईटी द्वारा अन्यों के साथ-साथ निवेशक सुविधा, निवेशक आऊटरीच, मीडिया संवर्धन तथा निवेश प्रोत्साीहन योजना के तहत विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को सहायता प्रदान करने जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

11. **राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन की स्कीम:** इस योजना की आवश्यसकता राष्ट्री य विनिर्माण नीति (एनएमपी) के कार्यान्व यन के लिए है। राष्ट्री य विनिवेश और विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमजैड) की स्था पना इस नीति का एक महत्वापूर्ण साधन है। इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित निधिएनआईएमजेड की मास्टर प्लानिंग की लागतों को पूरा करने के लिए है।

12. **व्यापार करने की सुगमता (ई-बिज परियोजना):** ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस एक पहल है जिसका उद्धेश्य विनियामक भार को पहचानकर अनुकूल व्यापार परिवेश तैयार करना है और मौजूदा विनियामकों और प्रक्रियाओं को सरल बनाना है और अनावश्यक अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं को समाप्त करना है।विनियामक सुधारों की एक विस्तृत योजना को नोडल मंत्रालयों / विभागों के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा सक्रिय सहभागिता से लागू किया जाता है। इस पहल में विश्व बैंक की डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट के तहत किए गए सुधारों को शामिल किया गया हैं। इसमें राज्य सुधार कार्य योजना और जिला सुधार कार्य योजना के तहत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए सुधार कार्य योजना को भी शामिल किया गया है।

13. **निधियों का कोष:** : स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष(एफएपएस) को,भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को अत्यधिक बढ़ावा देने और घरेलू पूंजी को समक्ष बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कार्पस के साथ लागू किया जा रहा है।एफएफएस को भारतीय लघु उद्योग बैंक (सिडबी) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। एफएफएसकार्पस के लिए वित्त वर्ष 2015-16 में 500 करोड़ रुपये,वित्त वर्ष 2016-17 में 100 करोड़ रुपये2019-20 में 431.3044 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2020-21 में 290.75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

14. **क्रेडिट गारंटी निधि:** विभाग में स्टार्टअप के लिए अत्यधिकआवश्यक ऋण वित्तपोषण प्रदान करने के लिए 2000 करोड़ के परिव्यय के साथ स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) सृजित करने की प्रक्रिया चल रही है।संकल्पना की प्रूफ, प्रोटोटाइपविकास, उत्पाद परीक्षण,बाजार प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 945 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथस्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (एसआईएसएफएस)पर भी विचार किया जा रहा है।

15. **स्टार्ट-अप इंडिया:** अबभारत विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक है। भारत सरकार उद्यमी संबंधी पूरी क्षमता और हमारी इकाइयों के बीच नवप्रयोगात्मक भावना को जानने के लिए स्टार्टअप्स इकोसिस्टम की सहायता कर रहा है। नवयुवक उद्यमी स्टार्टअप परिदृश्य पर प्रभावी हो रहे हावी हैं। महिला उद्यमी नवप्रयोग अर्थव्यवस्था में और अधिक क्षमता दिखा रही है। स्टार्टअप्स का एक बडाभागटियर-II और टियर-IIIगैर–मैट्रो शहरों से संबंधित है।

16. **स्टार्टअप इंडिया प्रारंभिक निधि स्कीम:** भारतीय स्टार्ट-अप परिवेश 'अवधारणा के साक्ष्य' और प्रारंभिक चरण में पूंजी की अपर्याप्ता का सामना करता है। अवधारणा का साक्ष्यt उपलब्धश कराने के बाद ही स्टार्ट-अप्स् को एंजेल निवेशकों और उद्यम पूंजी फर्मों से निधीयन उपलब्धa होता है। इसी प्रकार, बैंक भी उन्हीं आवेदकों को ऋण देते हैं जिनके पास पहले से परिसम्पलत्ति हो। डीपीआईआईटी अवधारणा के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाहद परीक्षण, बाजार प्रवेश और वाणिज्यी करण हेतु स्टाार्ट-अप को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अब स्टाबर्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) बना रहा है।

17. **व्यापार करने की सुगमता:** इस परियोजना का उद्देश्य केंद्र, राज्य तथा स्थानीय प्रशासन की सभी व्यवसाय तथा निवेश संबंधी विनियामक सेवाओं तक को सुविधाजनक बनाकरपहुंच सुनिश्चित करके भारत में एक व्यवसाय और निवेशक अनुकूल परिवेश सृजित करना है।

18. **सफेद बजाजी सामान (एसी एवंएलईडी लाइट) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम:** सफेद बजाजी सामान (एसी एवंएलईडी लाइट) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम

19. **पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संर्वधन नीति (एनईआईपीपी):** पूर्वोत्तर औद्योगिक औरनिवेश प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपीपी),2007 को 31.03.2017 को समाप्ता कर दिया गया है। हालाँकि, इस योजना की देख-रेख 31.03.2027 तक जारी रखी जाएगी।

20. **उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस) 2017:** पूर्वोत्तरराज्यों में औद्योगीकीकरण को बढ़ावा देने और रोजगार को बढाने औऱ आय सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए, एक नई योजना नामत:पूर्वोत्तरऔद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस),2017 दिनांक12.04.2018 को अधिसूचित की गई थी जो कि 01.04.2017 से पांच वर्षों के लिए लागू की गई (31.03.017 को एनईआईआईपीपी, 2007 के समाप्त होने के बाद)

21. **परिवहन/ माल भाड़ा सब्सिडी स्कीम:** दिनांक 22.11.2016 से परिवहन / मालभाड़ा सब्सिडी योजना (एफएसएस), 2013 को समाप्तय कर दिया गया है। हालांकि, दिनांक22.11.2016 की डीपीआईआईटी की अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पहले इस योजना के तहत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां,दिनांक 21.11.2021 तक इस योजना के लाभ प्राप्तन करने के लिए पात्र होंगी।

22. **विशेष श्रेणी के राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज:** यह पैकेज संघ शासित प्रदेश जम्मू तथा कश्मीर, संघ शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तथाउत्तराखंड राज्यों के लिए है ताकि इन संघ शासित प्रदेशों/राज्यों के औद्योगिक विकास में तेजी लाई जा सके।

23. **जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास स्कीम,2017:** केंद्र शासित प्रदेश जम्मू 9 और कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए औद्योगिक विकास स्कीम (आईडीएस, 2017) 23 अप्रैल, 2018 को अधिसूचित की गई थी। इस स्कीम के तहत लाभों में ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी), व्याचपक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआई), केंद्रीय व्यापज प्रोत्साहन (सीआईआई) शामिल हैं। दिनांक 01.01.2019 की अधिसूचना के जरिए चार और घटकों, यथा जीएसटी प्रतिपूर्ति, आयकर प्रतिपूर्ति, परिवहन प्रोत्सा ूहन और रोजगार प्रोत्सायहन, को शामिल किया गया था। इस स्कीपम के तहत लाभों का दावा करने की इच्छुक इकाइयों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विभाग द्वारा पोर्टल का विकास किया गया है। यह स्की म दिनांक 15.06.2017 से 31.03.2021 तक वैध है।

2. स्कीम के तहत अधिकार प्राप्तम समिति ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की 199 इकाइयों (जम्मू और कश्मीर-191, लद्दाख - 8) को पंजीकरण प्रदान किया है।

24. **हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास स्कीम,2017:** हिमाचल प्रदेश और उत्तीराखंड के लिए दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022 तक लागू औद्योगिक विकास स्कीम (आईडीएस) 23 अप्रैल, 2018 को अधिसूचित की गई थी। इस स्कीम के तहत लाभों में ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी) और व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआई) शामिल हैं।

2. स्कीम के तहत अधिकार प्राप्त समिति ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की 668 इकाइयों (हिमाचल प्रदेश-442, उत्त्राखंड-226) को पंजीकरण प्रदान किया है।

25. **जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का औद्योगिक विकास:** जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम, अधिसूचना जारी होने की तारीख से 31.03.2037 तक लागू होगी, जिसका स्कीम की अवधि के दौरान कुल परिव्यय 28,400 करोड़ रुपए होगा, जिसमें निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे:

I. पूंजी निवेश प्रोत्साहन

II. पूंजी ब्याज सहायता

III. वस्तु एवं सेवा कर संबद्ध प्रोत्साहन (जीएसटीएलआई)

IV. कार्यशील पूंजी ब्याज सहायता

26. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों के लिए केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी:** उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,पूर्वोत्तर राज्योंसिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सहित स्थित पात्र इकाइयों को जीएसटी व्यवस्था के तहत बजटीय सहायता योजनाको 05-10-2017 कोअधिसूचित किया गया थाजिसका उद्देश्य01-07-2017 से शेष अवधि लेकिन और 30.06.2027 से आगे नहीं, उनके दावों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से नए जीएसटी व्यवस्था में अंतरण के लिए पात्र इकाइयों कोसदभावना रूप में मदद करते है जो राज्यों के हिस्से के हस्तांतरण के बाद केंद्र सरकार के हिस्से के (58%) तक सीमित रखा जा सकें।

27.01. **स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता:** इस योजना के अंतर्गत स्वातयत्त संस्थाथनों अर्थात"पांच राष्ट्री य डिजाइन संस्थानन नामत:अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्यत प्रदेश और असम, केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थांन, राष्ट्री य सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद्, केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थांन, भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ और राष्ट्रीय उत्पाददकता परिषद को परियोजना सहायता प्रदान की जानी है।

27.02. **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन:** डब्ल्यूआईपीओ की भारतीय सदस्यता के लिए अंशदान के लिए प्रावधान

27.03. **एशियाई उत्पादकता संगठन /संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन:** आसियान उत्पादकता संगठनतथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) के भारतीय सदस्यता के लिए अंशदान हेतु प्रावधान।

27.04. **स्वायत्तशासी निकायों को सहायता:** इस परियोजना के आधार पर स्वायत्त संस्थानों अर्थात राष्ट्रीय सीमेंट तथा निर्माण सामग्री परिषद, सीमेंट उद्योग विकास परिषद, कागज लुगदी तथा संबद्ध उद्योग विकास परिषद तथा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को सहायता प्रदान किया गया है।